


तारीख हुकम

गण/ प्रकाशनी वाले अग्रिम कार्यवाही
हेतु मिलल दिनांक 4/12/19 को पत्र
की है -

4/12/19 प्रकाशनी (अग्रिम) वकील वाकीगण
घोषित। वही वाद कि दुआ पर सुनी
जायी। वाकीगणने वाद पत्र में बर्णित
भूमि खण नं 2960 रक्का 0.45 हेठ
तग ग्राम खण्डेला पण्डे खण्डेला पिकर
सीकर सापल्याग के राजस्व बिकार में अपने
पिता का नाम धीरा पुत्र हमीरा के स्थान
पर घासीराम पुत्र हमीरा हुकमत कलाने
का मिश्रण किया है। ग्राम पचाचर
जो हुकम का फल द्वारा जारी हुआ पत्र घासीराम
के मृत्युपुत्राण पत्र से साबित होय है। प्रकाशनी
वाकीगण के पत्र का सही नाम घासीराम
के है अतः हुकमत मिल जाना उचित है।
शेष पिता की भूमि को अपने नाम कलाने हेतु
बर्णित है किन्तु वाद पत्र कर रिलीफ
पायी है जो तदधीन कर के समस्त बिरासत
का कामांतर कलाने खुलकाया गये। अतः आदेश
दिया जाता है कि:-

आदेश

भूमि खण नं 2960 रक्का 0.45 हेठ पर
की है -



अब
हुकम की तालिका
में जारी हुए

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

ख० न० 2961, 2962 ख० 123 ए०, ख० 143 व
 ख० 2888 ख० 0.99 ए० तज ग्राम खण्डेला
 जिमा सीकर राजस्थान के राजस्थान सिमाई के
 लक्ष्मींदार खण्डेला, वाकिगण के पिता का
 नाम धीसा पुत्र हमीरा के स्थान पर धाराराम
 पुत्र हमीरा पुत्र करै व अदि ख० न०
 2960 वा 2962, 2888 व 143 तज ग्राम खण्डेला
 का लक्ष्मींदार खण्डेला किरात का मामातम
 करै। इसी गति डिफेंड जारी हो फलपी
 में नाम सुपाए होम मथल से कम हो
 खाड लक्ष्मील वाकिगण वतार हो

for
 4.12.19
 (राजेश सिंह)

PPS
 उक्ताए अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)

डिक्री मुकदमा इबतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
 अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला मुकाम खण्डेला
 बइजलास श्री रणजीत सिंह (आर.ए.एस)


- ① धर्मपाल पुत्र घासीराम / श्री मीणा गिरामीण जो मुकदमा की वकील
 ② देवीलाल पुत्र घासीराम / श्री मीणा गिरामीण जो मुकदमा की वकील
 तदानी खण्डेला जिला सीकर राफठ (वादीगण)
 ③ दुर्गा देवी पत्नी घासीराम / सतोष देवी पुत्री घासीराम
 ④ अमिता पुत्री घासीराम समस्त जति मीणा जि. जो मुकदमा की वकील
 तदानी खण्डेला जिला सीकर राफठ / श्री मीणा गिरामीण जो मुकदमा की वकील
 दावा बाबत चौधवा व इकतरी केकेडी एतिकाकी

मुकदमा नं० 197/2017 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस व हाजिरी श्री राजेश चंद एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु श्री विजय शर्मा ए मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि 29.60 रुबका 0.45 रु, 29.61, 29.62 रुबका 1.22 रु, 28.88 रुबका 0.99 रु तग राम खण्डेला जिला सीकर बापान्यात के राफठ जिदि ने तदानीमदार खण्डेला, वापिगज के पिता का नाम घासी पुत्र हमीरा के स्थान पर घासीरा पुत्र हमीरा हुकमत करे व प्रीत खण्डेला 29.60 ता 29.62 28.88 व 1.43 तग राम खण्डेला का तदानीमदार खण्डेला विरासत का नामाकरण करे।

निज..... मुबलिंग..... बाबत..... खर्चा
 इस मुकदमें के मय सूद बशरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।
 बसवा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04 माह 12 सन 2019 को जारी की गई।

दस्तखत.....
 (रणजीत सिंह) / उपखण्ड अधिकारी
 ओहदा..... खण्डेला (सीकर)



मुहर	मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वजह सवूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक		
	मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।